राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6401/2022

श्रीमती निशा शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएएल201102001094)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, महिला बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	16.12.2022
आदेश की दिनांक	:	03.01.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी महिला पर्यवेक्षक, के पद पर परियोजना कार्यालय, किशनगढबास अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन परि. मालपुरा टोंक में किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीया का स्थानांतरण 270 किमी. दूर किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीया दो माह की गर्भवती है और उसकी प्रिग्नेसी में कई तरह की काम्पलिकेशन है और उसका निरंतर अलवर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उन्हें अधिक दूरी की यात्रा करने से मना किया है और वह अकेली नहीं रह सकती है। उक्त विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीया का वर्तमान स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया गर्भवती है तथा डॉक्टर ने अपीलार्थीया को यात्रा

करने के लिए मना किया है। ऐसे में स्थानांतरण से अपीलार्थी को प्रथम दृष्टया असुविधा होना स्वाभाविक प्रकट होता है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)